3.7.19	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप0 हो। बहस सुनी। वास्ते आदेश 5.7.19 को पेश हो।
5.7.19	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित हो। प्रकरण का अव[redacted] किया गया। अपीलार्थ
	[redacted] 5/7/19

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा प्रस्तुत अपीलाधीन आदेश दि० 12.6.11 का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण दि. 9.6.11 को दायर किया। 10/6/2011 को Inspector द्वारा जाँच की गई तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.6.11 से कान्हा के स्थान पर रेस्पोंडेन्ट्स का नाम अपीलाधीन आदेश से प्रभावित भूमि पर दर्ज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रिपोर्ट-पटवारी में अंकित तथ्यों के अनुसार प्रकरण वर्णित भूमि पर रेस्पो० के नाम दर्ज करने का आदेश प्रसारित कर दिया। इस प्रकार प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व न तो मृतक कान्हा के विधिक वारिसान की विधिवत जाँच की और न ही अपीलान्ट्स को सुनवाई का ही अवसर दिया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना कर प्रकरण में सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा जिन दस्तावेजों की छाया प्रतियाँ पेश की है, उनसे प्रथम दृष्टया ऐसा जाहिर आता है, कि वे कान्हा S/O गुलाब के पुत्र है। परन्तु यह जाँच का विषय है। अपील के स्तर पर साक्ष्य प्राप्त किया जाना	

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म
	संभव नहीं है। प्रका० के गुणावगुण पर विचार किया गया। अपील अपीलान्ट अंशतः स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दि० 12.6.11 द्वारा ग्राम पंचायत हथियाखेड़ी से प्रभावित नामा० नं० 277 बाके मौजा मोतीपुरा को अपास्त किया जाता है। नामा० नं० 277 दि० 12/6/11 ग्राम मोतीपुरा कलां को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को इन दिशा निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि वे उभय पक्षकार या प्रभावित पक्षकारों को अपने-2 साक्ष्यादि का पर्याप्त एवं सुनिश्चित अवसर देकर नवीन सिरे से विधिसंगत निर्णय 3(तीन) माह में पारित करें। पक्षकार दि० 31.7.19 को न्यायालय तहसीलदार रा० मण्डी में उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 4.7.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया। 04/7/19 (चिमन...) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	